*ई–मेल
स्पीड पोस्ट/निबंधित डाक

पत्रांक–2ब०/विविध–21–16/2018 -272 /न०वि०एवंआ०वि०

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०),
बिहार, पटना।

*अनौपचारिक रूप से परामर्शित

*द्वारा–आन्तरिक वित्तीय सलाहकार

पटना, दिनांक– 20/03/2020

विषयः– **विभागीय संकल्प सं०– 2523, दिनांक– 19.05.2015 के आलोक में राज्य के नगर निकायों के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष तथा सभी वार्ड पार्षदों को प्रतिमाह नियत भत्ता के भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2019–20 में कुल राशि ₹20.70000 लाख (बीस लाख सत्तर हजार रु०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में राशि की स्वीकृति।**

आदेशः– **स्वीकृत।**

विभागीय संकल्प सं०– 2523, दिनांक– 19.05.2015 के आलोक में राज्य के नगर निकायों के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष तथा सभी वार्ड पार्षदों को प्रतिमाह नियत भत्ता में वृद्धि की गयी है। इस संबंध में पूर्व के संकल्प सं०– 3217, दिनांक– 20.06.2008, संकल्प सं०– 2752, दिनांक– 14.11.2013 एवं संकल्प सं०– 2373, दिनांक– 08.08.2014 को विलोपित कर दिया गया है। पुनरीक्षित निर्धारित दर के अनुसार नियत मासिक भत्ता के भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2019–20 में कुल ₹20.70000 लाख (बीस लाख सत्तर हजार रु०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में निम्नवत् स्वीकृत की जाती है:–

(राशि रु० में)

जिला	क्र०	नगर निकायों का नाम	वित्तीय वर्ष 2019–20 में नगर निकायों के निर्वाचित मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद एवं पार्षदों के लिए नियत भत्ता की वार्षिक अनुमान्य राशि
1	2	3	4
लखीसराय	1	नगर परिषद्, लखीसराय	7,74,000.00
अररिया	2	नगर परिषद, फारबिसगंज	6,30,000.00
औरंगाबाद	3	नगर परिषद, दाउदनगर	6,66,000.00
		कुल योग	**20,70,000.00**

अर्थात् कुल स्वीकृत राशि ₹20.70000 लाख (बीस लाख सत्तर हजार रु०) मात्र।

2. कुल स्वीकृत राशि ₹20.70000 लाख (बीस लाख सत्तर हजार रु०) मात्र के **निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, प्रशाखा पदाधिकारी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग होगें**, जिनके द्वारा वित्तीय वर्ष 2019–20 में वित्त विभाग के परिपत्र सं०– 2561, दिनांक– 17.04.98, पत्रांक– 256, दिनांक– 26.02.2019, पत्रांक– 732, दिनांक– 31.07.2019 एवं पत्रांक– 733, दिनांक– 31.07.2019 (प्रथम अनुपूरक) में निहित अनुदेशों के आलोक में की जायेगी। ***प्रशाखा***

187

पदाधिकारी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा राशि संबंधित नगर परिषदों के PL खाता में CFMS के माध्यम से Inter Departmental विधि से Online हस्तांतरित किया जाएगा।

3. **राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में AC विपत्र पर नहीं की जायेगी।**

4. राशि के भुगतान के पश्चात् विभागीय पत्रांक– 63, दिनांक– 11.01.2019 के आलोक में उपयोगिता प्रमाण–पत्र BTC- 42A फॉर्म में तैयार कर रोकड़ बही की संबंधित पृष्ठ की अभिप्रमाणित छायाप्रति के साथ निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।

5. वित्त विभाग के संकल्प सं०– 573, दिनांक– 16.01.1975 एवं एम 04–15/2009–9736, दिनांक– 19.10.2011 एवं बिहार कोषागार संहिता के नियम 271(ड़) के अनुसार "सहायता अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अंदर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार, पटना के कार्यालय को प्रेषित किया जाना है।"

6. उक्त स्वीकृत ₹20.70000 लाख (बीस लाख सत्तर हजार रु०) मात्र निकासी मांग संख्या– 48 के मुख्य शीर्ष– 2217–शहरी विकास, उपमुख्य शीर्ष– 03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास, लघु शीर्ष– 192–नगरपालिकाओं–नगर परिषद् को सहायता, उपशीर्ष–0102–नगर परिषदों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता हेतु विपत्र कोड– **48-2217031920102,** विषय शीर्ष–0102.31.06 सहायक अनुदान–गैर वेतन के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019–20 के बजट में उपबंधित राशि से की जाएगी।

7. Online राशि की प्राप्ति के उपरांत संबंधित नगर निकायों के नगर कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा अपने नगर निकाय के निर्वाचित मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद एवं सभी वार्ड पार्षदों को विभागीय संकल्प सं०– 2523, दिनांक– 19.05.2015 द्वारा निर्धारित दर के अनुसार प्रत्येक माह अनुमान्य राशि का भुगतान किया जायेगा।

8. वित्त विभाग के परिपत्र सं०– 7355 वि(2), दिनांक– 05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

9. वित्त विभाग के परिपत्र सं०– 1496, दिनांक– 22.02.08 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर कोषागार में प्रस्तुत किया जायेगा।

10. सहायक अनुदान के रूप में उक्त राशि के व्यय हेतु सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन संचिका सं०– 2ब०/गै०यो०–19–03/2012 के पृष्ठ– 135/टि० पर दिनांक– 06.06.2019 को प्राप्त है।

11. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका सं०– 2ब०/विविध–21–16/2018 के पृष्ठ सं०–56/टि० पर दिनांक–19.3.20 को प्राप्त है तथा सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन संचिका के पृष्ठ सं०–50/टि० पर दिनांक–20.3.20 को प्राप्त है।

12. भारतीय लेखा एवं अंकेक्षण विभाग को इससे संबंधित अभिलेखों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।

13. इसकी सूचना संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित कोषागार पदाधिकारी एवं अन्य को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

20.03.2020

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक–2ब०/विविध–21–16/2018 -272 /न०वि०एवंआ०वि/पटना, दिनांक– 20/03/2020

प्रतिलिपिः– संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/कार्यपालक पदाधिकारी संबंधित नगर परिषद्/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार/संबंधित उप कोषागार पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय लेखापाल/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/विभागीय आई०टी० मैनेजर को विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने एवं संबंधित नगर निकायों को ई०–मेल करने हेतु/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा– 02 एवं 07, नगर विकास एवं आवास विभाग/कार्यवाह सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना (5 प्रतियों में) को सूचनार्थ एंव आवाश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20.03.2020

सरकार के विशेष सचिव।